

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 130/2017 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 07.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम

विक्रम उर्फ प्रेमसिंह पुत्र रमेश तरेटिया उम्र 24 वर्ष  
निवासी—ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड (म0प्र0)

अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम)

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव )

निर्णय —:

(आज दिनांक 16/03/2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 19.05.15 से निरन्तर शेरपुर की पुलिया पर फरियादी रूबी के पति होकर फरियादी रूबी से दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 498—ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया रूबी की शादी दिनांक 19 मई 2015 को आरोपी विक्रम उर्फ प्रेम सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाजों से ग्राम लावन में संपन्न हुई थी शादी में उसके पिता सुरेश खटीक ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक मोटरसाईकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट्स, एक लाख रुपये नगद, 50 हजार रुपये का घर गृहस्थी का सामान दिया था शादी के बाद ससुराल में आरोपी विक्रम ने दो-तीन महीने तक उसे अच्छे तरीके से रखा था उसके बाद आरोपी उसकी रोजाना मारपीट करता था और उसे घर से निकल जाने के लिये कहता था तथा उसे खर्चे के लिये रुपये नहीं देता था एवं उससे कहता था कि तुम्हें नहीं रखेगा क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो। आरोपी हमेशा उसे ताना मारता था जुलाई 2016 में आरोपी उसे ग्वालियर ले गया था एवं ग्वालियर में उसे कमरा लेकर रखा था आरोपी खुद कमरे पर नहीं आता था और न ही उसे खाने-पीने को देता था यह बात उसने कई बार अपने पिता सुरेश और मां केला देवी को बताई थी तो उसके माता पिता ने रिश्तेदारों के साथ ससुराल जाकर समझाने की कोशिश की थी, परंतु आरोपी नहीं माना था एवं आरोपी आये दिन उसकी मारपीट करता रहता था। दिनांक 02.01.17 को आरोपी मोटरसाईकिल पर उसे लेकर ससुराल शेरपुर की पुलिया पर छोड़ गया था और कह गया था कि वह उसे नहीं रखेगा उसे जहां जाना है वहां जाये। उसके बाद वह अपने पिता के घर ग्राम लावन चली गई

प्रति 16/3/18  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला— भिण्ड (म.प्र.)

थी एवं पूरी बात अपने माता-पिता को बताई थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की गई थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी में अप0क0 11/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

03. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

05. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.05.15 से निरंतर शेरपुर की पुलिस पर फरियादी रूबी के पति होकर फरियादी रूबी से दहेज की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया रूबी से एक लाख रुपये दहेज की मांग की ?

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया रूबी अ0सा01, साक्षी शिवनारायण अ0सा02, केशव अ0सा03, सुरेश अ0सा04, थाना प्रभारी यतेंद्रसिंह भदौरिया अ0सा05 एवं कैलादेवी अ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

07. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया रूबी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी विक्रम उसका पति है उसकी शादी वर्ष 2015 में विक्रम के साथ हुई थी शादी में उसके पिता ने एक लाख रुपये नगद एवं घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया था शादी के बाद 4-5 महीने तक आरोपी ने उसे अच्छे तरीके से रखा था। 4-5 महीने बाद आरोपी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था आरोपी विक्रम उसकी मारपीट करता था एवं उसे घर से बाहर निकाल देता था तथा उससे कहता था कि एक लाख रुपये लेकर आओ, तभी तुम्हें रखूंगा फिर उसने अपने पिता को फोन किया था कि उसके ससुर रमेश, पति प्रेम सिंह, जेठ रामनिवास उससे एक लाख रुपये की मांग कर रहे हैं तथा उससे कह रहे हैं कि एक लाख रुपये लेकर आओ, तभी तुम्हें रखेंगे। आरोपी उससे कहता था कि वह सुंदर नहीं है इसलिये वह उसे नहीं रखेगा। इसके बाद उसके पिता से बातचीत हुई थी व उसके पिता ने थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी तो आरोपी उसे एण्डोरी से ही ग्वालियर ले गया था उसके पिता ने उसे थाने से ही विक्रम के साथ भेज दिया था आरोपी ने ग्वालियर में कमरा लिया था आरोपी कमरे पर नहीं आता था एवं उसे खाने पीने को कुछ नहीं देता था उसने यह बात अपने पिता सुरेश व मां कैलादेवी को बताई थी। कई बार ससुराल जाकर विक्रम को समझाया था, परंतु आरोपी नहीं माना था और कहता था कि एक लाख रुपये लेकर आओ तभी रखूंगा। आरोपी आये दिन उसकी मारपीट करता था। उसके न्यायालयीन कथन से 7-8 महीने पहले आरोपी उसे बूटी कुईया पर छोड़कर चला गया था आरोपी ने उससे कहा था कि दहेज में एक लाख रुपये लेकर आयेगी, तभी रखूंगा। उसने घटना के संबंध में थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0-2 है जिसके ए से ए भाग पर

16/05/18  
निष्कर्ष अवस्था

उसके हस्ताक्षर हैं।

09. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में दहेज मांगने वालों में सास, ससुर, जेठ, जिठानी का नाम लिखा दिया था, यदि न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकती। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे साथ रखने के लिये भिण्ड में कुटुम्ब न्यायालय में दावा किया था आरोपी उसकी मारपीट करता था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना एण्डोरी में की थी। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी0-1 की रिपोर्ट उसके चाचा ने लिखाई थी एवं प्र0पी0-2 पर हस्ताक्षर उसने थाने पर किये थे उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-2 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है इसलिये उसने दहेज का झूठा केस लगा दिया है।

10. साक्षी शिवनारायण अ0सा02, केशव अ0सा03, सुरेश अ0सा04 एवं केलादेवी अ0सा06 ने भी फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा रूबी से दहेज मांगने बावत् प्रकटीकरण किया है।

11. थाना प्रभारी यतेंद्रसिंह भदौरिया अ0सा05 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रूबी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद 4-5 महीने तक आरोपी ने उसे अच्छी तरह रखा था उसके बाद आरोपी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था आरोपी उसकी मारपीट करता था एवं उसे घर से बाहर निकाल देता था आरोपी उससे एक लाख रुपये अपने मायके से लेकर आने के लिये कहता था एवं यह भी कहता था कि वह सुंदर नहीं है, इसलिये वह उसे नहीं रखेगा। इस प्रकार फरियादी रूबी अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद आरोपी ने उसे 4-5 महीने अच्छी तरीके से रखा था, जबकि प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में यह वर्णित है कि शादी के बाद आरोपी ने फरियादिया रूबी को दो-तीन महीने तक अच्छी तरीके से रखा था इसके अतिरिक्त फरियादिया रूबी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी उससे कहता था कि एक लाख रुपये अपने मायके से लेकर आओ, तभी तुम्हें रखूंगा, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है यद्यपि फरियादी रूबी के पुलिस कथन में आरोपी द्वारा एक लाख रुपये दहेज मांगने का उल्लेख है, परंतु इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यदि वास्तव में आरोपी फरियादी रूबी से दहेज की मांग करता था एवं उसे एक लाख रुपये अपने मायके से लाने के लिये कहता था तो इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता, परंतु प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा दहेज मांगने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्त्विक है जो फरियादी के कथनों के विपरीत संदेह उत्पन्न कर देता है।

14. फरियादी रूबी अ0सा01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि उसने अपने पिता से यह बताया था कि उसके ससुर रमेश, पति प्रेम सिंह, जेठ रामनिवास उससे एक लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट में अपने सास, ससुर, जेठ, जिठानी का नाम दहेज मांगने वालों में लिखाया था, परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि फरियादिया की सास, ससुर, जेठ, जिठानी भी दहेज की मांग करते थे प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि आरोपी अथवा आरोपी के परिवारजन फरियादिया से दहेज की मांग करते थे, जबकि फरियादिया रूबी अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में उसके ससुर रमेश, जेठ रामनिवास द्वारा भी उससे दहेज की मांग करना बताया है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन प्र0पी0-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं, जो फरियादी के कथनों के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

16/3/18  
न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी  
गोपाल सिंह - भिण्ड (म.प्र.)



15. फरियादी रूबी अ0सा01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि आरोपी उससे कहता था कि वह सुंदर नहीं है इसलिये वह उसे नहीं रखेगा, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है इसलिये उसने दहेज का झूठा केस लगा दिया है। इस प्रकार फरियादी रूबी अ0सा01 द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा केस लगाया है एवं वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है यह तथ्य संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

16. जहां तक शेष साक्षीगण के कथनों का प्रश्न है। साक्षी शिवनारायण अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि फरियादिया रूबी उसकी भतीजी है उसने रूबी की शादी आरोपी से की थी शादी के एक वर्ष के अंदर ही आरोपी रूबी को परेशान करने लगा था आरोपी ने दूसरी औरत भी रख ली थी और वह उसकी भतीजी की मारपीट करता था। वह उसकी भतीजी को शेरपुर से ग्वालियर ले गया था उसकी लडकी वहां भी परेशान रहती थी उसने आरोपी से कहा था तो आरोपी ने उससे कहा था कि उसने दूसरी शादी कर ली है उसे दहेज में एक लाख रुपये और चाहिये। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ऽ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसकी भतीजी से अपने पिता के यहां से एक लाख रुपये लाने के लिये कहता था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके बहनोई लक्ष्मीनारायण ने उसे बता दिया था कि रिपोर्ट किस प्रकार करना है उसने लक्ष्मीनारायण के कहे अनुसार ही रिपोर्ट की थी। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी भतीजी से कभी भी एक लाख रुपये दहेज की मांग नहीं की थी।

17. इस प्रकार साक्षी शिवनारायण अ0सा02 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी, परंतु यह बात साक्षी शिवनारायण द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है न ही यह बात कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी अथवा आरोपी के अन्य औरत से संबंध थे फरियादी रूबी अ0सा01 द्वारा बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी शिवनारायण अ0सा02 के कथन फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं इसके अतिरिक्त साक्षी शिवनारायण अ0सा02 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी उसकी भतीजी से एक लाख रुपये दहेज की मांग करता था, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी भतीजी से कभी भी एक लाख रुपये दहेज की मांग नहीं की थी तथा उसने अपने बहनोई लक्ष्मीनारायण के बताये अनुसार रिपोर्ट की थी। इस प्रकार साक्षी शिवनारायण अ0सा02 के कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी ने रूबी से कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी स्वयं रूबी अ0सा01 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है। साक्षी शिवनारायण अ0सा02 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी के कथन तात्त्विक बिंदुओं पर फरियादी रूबी अ0सा01 कथनों से भी विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपी ने उसकी भतीजी से कभी दहेज की मांग नहीं की थी। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

18. साक्षी केशव अ0सा03 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि शादी के बाद से ही आरोपी उसकी बहन रूबी की मारपीट करने लगा था विक्रम रूबी की मारपीट क्यों करता था वह नहीं बता सकता है आरोपी क्या दहेज मांग रहा था उसे इसकी भी जानकारी नहीं है। शादी के 15 दिन बाद ही आरोपी उसकी बहन रूबी को पुलिया के पास छोड़ गया था फिर उसके पिता रूबी को लेने गये थे, तब से रूबी मायके में रह रही है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शादी के बाद विक्रम रूबी की आये दिन मारपीट करता था एवं रूबी को अपने पिता से दहेज में एक लाख रुपये लाने के लिये कहता था उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने दूसरी औरत रख ली थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 02.02.17 को आरोपी रूबी को शेरपुर की पुलिया पर छोड़कर चला गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन को विक्रम के साथ नहीं रखना चाहता है इस कारण उसने दहेज के लिये झूठा दावा लगा दिया है। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने फूफा जी ने दहेज का केस लगाने की सलाह दी थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने कभी कोई दहेज नहीं मांगा था।

RA  
16/03/18  
आपराधिक प्रकरण क्रमांक 130/19

19. इस प्रकार साक्षी केशव अ0सा03 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी क्या दहेज मांग रहा था उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी शादी के 15 दिन बाद ही उसकी बहन रूबी को पुलिया के पास छोड़ गया था, तब से रूबी मायके में रह रही है, परंतु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये हैं तो उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी रूबी से एक लाख रुपये दहेज की मांग करता था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी दिनांक 02.01.17 को रूबी को शेरपुर की पुलिया पर छोड़कर चला गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन को आरोपी के साथ नहीं रखना चाहता है इसलिये उसने दहेज का झूठा दावा लगा दिया है। इस प्रकार साक्षी केशव अ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी द्वारा एक ही समय में एक ही बिंदु पर परस्पर विरोधाभासी कथन दिये गये हैं उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस लगा दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है।

20. साक्षी सुरेश अ0सा04 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी रूबी उसकी लडकी है एवं आरोपी रूबी से एक लाख रुपये दहेज में लाने के लिये कहता था तथा यह भी कहता था कि उसके पास दूसरी औरत है आरोपी ने रूबी को ग्वालियर में रखा था विक्रम ने रूबी को भगा दिया था रूबी ने किसी दूसरे के फोन से फोन करके उसे बुलाया था तो वह गया था रूबी उसे नहर की पुलिया पर रोते हुये मिली थी फिर वह उसे घर लेकर आ गया था, तब से रूबी मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि लक्ष्मीनारायण ने उसे बताया था कि आरोपी के उपर दहेज का केस लगा दो तो उसने आरोपी पर दहेज का केस लगा दिया था। पद क्रमांक 5 में उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह अपनी बच्ची रूबी को आरोपी विक्रम के साथ नहीं भेजना चाहता है इसलिये उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस दर्ज करवा दिया है।

21. इस प्रकार सुरेश अ0सा04 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने दूसरी औरत रख ली थी तथा आरोपी रूबी से दहेज की मांग करता था, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह अपनी लडकी रूबी को आरोपी के साथ नहीं भेजना चाहता था इसलिये उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस दर्ज करवा दिया था। इस प्रकार सुरेश अ0सा04 के कथनों से यही दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती है।

22. साक्षी केलादेवी अ0सा06 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी उसकी पुत्री से एक लाख रुपये दहेज की मांग करता था आरोपी ने उसकी लडकी की मारपीट की थी फिर उसका लडका केशव व देवर शिवनारायण तथा उसका पति पुत्री की ससुराल गये थे एवं उसकी पुत्री को लेकर आये थे, तब से उसकी पुत्री उसके साथ ही रहती है। इस प्रकार केलादेवी अ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसका पति, देवर एवं उसका लडका केशव फरियादिया को उसकी ससुराल से लेकर आये थे, जबकि फरियादी रूबी अ0सा01 का कहना है कि आरोपी उसे बूटी कुईया पर छोड़कर चला गया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी केलादेवी अ0सा06 के कथन फरियादी रूबी अ0सा01 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं इसके अतिरिक्त केलादेवी अ0सा06 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह अपनी पुत्री को आरोपी के साथ नहीं भेजना चाहती है उसके नन्दोई ने उससे आरोपी पर दहेज का केस लगाने के लिये कहा था तो उसने आरोपी पर केस लगा दिया है। इस प्रकार केलादेवी अ0सा06 के कथनों से भी यही प्रकट होता है कि आरोपी द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी। चूंकि फरियादिया आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इसलिये फरियादी पक्ष द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह रिपोर्ट की गई थी।

23. इस प्रकार प्रकरण में फरियादी रूबी अ0सा01, शिवनारायण अ0सा02, केशव अ0सा03, सुरेश अ0सा04 एवं केलादेवी अ0सा06 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी ने दहेज की मांग नहीं की थी। स्वयं फरियादी रूबी अ0सा01 ने अपने

RA  
दिनांक 16/3/18  
न्यायिक न्याय न्याय प्रण  
नोडल जिला- मिण्ड (स प)

प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इस कारण उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस लगा दिया था। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी द्वारा फरियादिया रूबी से एक लाख रुपये दहेज की मांग नहीं की गई है और न ही फरियादिया को प्रताड़ित किया गया है फरियादिया स्वयं आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती है इस कारण फरियादिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

24. कूरता रहित दाम्पत्य संबंधों का निर्वाह हर महिला का विधिक एवं नैतिक अधिकार है, परंतु इस आधार पर किसी भी महिला को कानून का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रूबी अ0सा01 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी पर दहेज का झूठा केस लगाया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

25. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.05.2015 से निरंतर शेरपुर की पुलिया पर फरियादी रूबी के पति होकर फरियादी रूबी से दहेज में एक लाख रुपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादी रूबी की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी विक्रम उर्फ प्रेम सिंह को संदेह का लाभ देते हुये उसे भा0दं0सं0 की धारा 498-ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

27. आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

28. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान - गोहद

दिनांक - 16-03-2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
करे खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

RA 16/3/18  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक सजिस्ट्रेट (महामहोदय)  
गोहद मिला, सिण्ड (महामहोदय)  
गोहद जिला - सिण्ड (महामहोदय)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

RA

16/3/18

प्रतिष्ठा अवस्थी  
न्यायिक सजिस्ट्रेट (महामहोदय)  
गोहद मिला, सिण्ड (महामहोदय)  
गोहद जिला - सिण्ड (महामहोदय)